

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 26 / 2020 FSSA

- सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

- श्री प्रेम चन्द शर्मा पुत्र श्री रामचरण शर्मा एफबीओ मैसर्स:- बालाजी डेयरी, गिरधारीपुरा, पोस्ट हींगवा तहसील सिकराय जिला दौसा ।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित ।

: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित ।

—: आदेश :—

दिनांक:- 16.09.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 18.02.2020 को दोपहर बाद 02:30 बजे मैसर्स:- बालाजी डेयरी, गिरधारीपुरा, पोस्ट हींगवा तहसील सिकराय जिला दौसा स्थित दुकान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय डेयरी पर विक्रेता श्री प्रेम चन्द शर्मा पुत्र श्री रामचरण शर्मा उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का विक्रेता व मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स नहीं होना जाहिर किया।

निरीक्षण के समय विक्रेता की डेयरी पर एक नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम में करीबन 150 किग्रा क्रीम आम जनता को बेचने हेतु रखी हुई थी। जिसका विक्रेता द्वारा घी बनाकर आम जनता को विक्रय किया जाता है। विक्रेता ने क्रीम को मीडियम फ़ैट क्रीम होना बताया, में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से 800 ग्राम क्रीम (मीडियम फ़ैट) नमूने की जांच हेतु खरीदी। जिसे विक्रेता ने एक साफ सूखे एवं खाली स्टील के जग में तौलकर दी। जिसकी कीमत 200 रुपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 800 ग्राम क्रीम (मीडियम फ़ैट) को चार साफ सूखी एवं खाली कांच की बोतलों में बराबर-बराबर डालकर प्रत्येक बोतल में 16-16 बूंद फार्मलीन की डालकर बोतल को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने



न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलों पर चिपकाकर बोतलों को अलग-अलग एक खाकी कागज में लपेट कर बोतलों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.- 2364 गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार-चार जगह से चपड़ी से सील मोहर कर बोतलों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेसन) लगाकर फार्म नं० 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपड़ी से सील मोहर कर तथा फार्म नं० 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं० 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 19.02.2020 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं० 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 19.02.2020 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं० 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 19.02.2020 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ क्रीम (मीडियम फैट) के नमूने की खाद्य संरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./142/एक्ट/2020/212 दिनांक 12.03.2020 व आरएफएल मैसूर की जांच रिपोर्ट सं. FT/AQCL/FSSA(365F)/2020 दिनांक 16.07.2020 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य संरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./142/एक्ट/2020/212 दिनांक 12.03.2020 व आरएफएल मैसूर की जांच रिपोर्ट सं. FT/AQCL/FSSA(365F)/2020 दिनांक 16.07.2020 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ क्रीम (मीडियम फैट) के नमूने में मिल्क फैट तय मात्रा से अधिक पाये जाने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ क्रीम (मीडियम फैट) का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) के तहत अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित करने का श्रम करे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रस्तुत कर बहस के दौरान निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया क्रीम का नमूना अमानक स्तर का पाया गया है, क्योंकि इसमें फैट की मात्रा ज्यादा पाई गई है। प्रार्थी को मीडियम फैट की जानकारी नहीं है। इस वजह से नमूना अमानक स्तर का पाया गया है। वर्तमान में मैंने यह काम करना बन्द कर दिया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा कम से कम जुर्माना लगाये जाने का निवेदन किया गया।



न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्र० सं० : 26 / 2020 FSSA

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र, पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य संरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. /142/एक्ट/2020/212 दिनांक 12.03.2020 व आरएफएल मैसूर की जांच रिपोर्ट सं. FT/AQCL/FSSA(365F)/2020 दिनांक 16.07.2020 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ क्रीम (मीडियम फैट) का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 58 में निर्धारित है

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ क्रीम (मीडियम फैट) का बिना खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन के विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री प्रेम चन्द शर्मा पुत्र श्री रामचरण शर्मा एफबीओ मैसर्स:- बालाजी डेयरी, गिरधारीपुरा, पोस्ट हींगवा, तहसील सिकराय जिला दौसा पर 2,000/- (अक्षरे दो हजार रुपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 16.09.2020 के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 16.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(लोकेश कुमार मीना)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा
दिनांक:- 16.09.2020

क्रमांक / FSSA / 897-899

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज० जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री प्रेम चन्द शर्मा पुत्र श्री रामचरण शर्मा, एफबीओ मैसर्स:- बालाजी डेयरी, गिरधारीपुरा, पोस्ट हींगवा, तहसील सिकराय जिला दौसा।



(लोकेश कुमार मीना)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा
अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा